तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **1. अपील डिक्री/टीए/4548/2002/करौली** **मुरारी व अन्य बनाम कुन्जीलाल व अन्य** **2. अपील डिक्री/टीए/4549/2002/करौली** **मुरारी व अन्य बनाम बृजमोहन व अन्य** **3. अपील डिक्री/टीए/4573/2002/करौली** **मुरारी व अन्य बनाम मुरारी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.10.2021	**खण्डपीठ** **श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **उपस्थित** श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अपीलांट श्री गिरीश शर्मा, अधिवक्ता रेस्पो0 **निर्णय** उपरोक्त तीनों अपीलें अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, सवाईमाधोपुर दिनांक 01.08.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। उपरोक्त तीनों अपीलों में पक्षकार समान है व विवादित आराजी भी समान है तथा एक ही निर्णय दिनांक 01.08.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। इसलिए उपरोक्त तीनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतिलिपि उपरोक्त तीनों अपीलों में पृथक–पृथक से लगायी जावे। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करौली के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। रेस्पो0/वादी ने उक्त विवादित आराजीयात को रस्टिर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.08.78 से गुलाब बेवा जौहरी से क्रय की थी। इसलिए अपीलांट/प्रतिवादीगण को वादी/रेस्पो0 के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में कोई दखंलदाजी नहीं करे। परीक्षण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर वादी व प्रतिवादीगण को तलब किया। वादी व प्रतिवादीगण द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष जबाव दावे प्रस्तुत किये। परीक्षण न्यायालय ने दावे व जबाव दावे के आधार पर 6 तनकीयात कायम करते हुये रेस्पो0/वादी का वाद अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.05.96 से खारिज कर दिया। परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 30.	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **1. अपील डिक्री/टीए/4548/2002/करौली** **मुरारी व अन्य बनाम कुन्जीलाल व अन्य** **2. अपील डिक्री/टीए/4549/2002/करौली** **मुरारी व अन्य बनाम बृजमोहन व अन्य** **3. अपील डिक्री/टीए/4573/2002/करौली** **मुरारी व अन्य बनाम मुरारी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

05.96 से ग्रसित होकर वादी/रेस्पो0 ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, सवाईमाधोपुर के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 01.08.2002 से वादी/रेस्पो0 की अपील को स्वीकार कर लिया गया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह तीनों अपीलें प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस प्रकरण में सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि अपीलीय न्यायालय में तनकी संख्या 1 को सिद्व करने का भार वादी/रेस्पो0 पर था। जिसे वादी साबित करने में सफल नहीं हो पाया। बिना कब्जे के धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा पोषणीय नहीं है। उक्त आधार पर परीक्षण न्यायालय ने रेस्पो0/वादी का दावा खारिज किया था। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने विधि विरूद्व निर्णय से अपास्त करते हुये रेस्पो0/अपीलांट की अपील को स्वीकार कर ली, जो निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि तनकी संख्या 3 '' आया जबाव दावा के पैरा नं. 10 के मुताबिक मु0 जौहरी को गुजारे का हक था। उक्त तनकी वादी/रेस्पो0 के विरूद्व तय की थी किन्तु उक्त तनकी पर अपील अधिकारी ने कोई निर्णय पारित नहीं किया जबकि उक्त तनकी के अनुसार मु0 जौहरी जाति से मीणा थी व हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 2 के अनुसार मीणा पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **1. अपील डिक्री/टीए/4548/2002/करौली** **मुरारी व अन्य बनाम कुन्जीलाल व अन्य** **2. अपील डिक्री/टीए/4549/2002/करौली** **मुरारी व अन्य बनाम बृजमोहन व अन्य** **3. अपील डिक्री/टीए/4573/2002/करौली** **मुरारी व अन्य बनाम मुरारी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	होता है। इसलिए अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि वस्तुत स्थिति के आधार पर मु0 जौहरी को मीणा जाति की होने के कारण विवादित आराजी को बेचान करने का अधिकार नहीं था ना ही उक्त आराजी पर रेस्पो0 का कब्जा काश्त ही रहा है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि रेस्पो0/अपीलांट द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील मियाद बाहर थी और यदि डिक्री नहीं बनी हो तो निर्णय के आपरेटीव पोरशन को डिक्री मानकर अपील दायर की जा सकती है जो कि आदेश 20 नियम 6 के उपनियम 1 व 2 सी0पी0सी0 में स्पष्ट है। इस तथ्य पर भी अपीलीय न्यायालय ने ध्यान नहीं देते हुये रेस्पो0/अपीलांट की अपील को स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है जो निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत तीनों अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 अपनी बहस में तर्क किया कि विवादित भूमि गुलाब की खातेदारी की भूमि थी जो उसकी मृत्यु के उपरांत उसकी एक मात्र वारिस मु0 जौहरी बेवा गुलाब की खातेदारी मे दर्ज हुयी। मु0 जौहरी से रेस्पो0 ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 05.8.78 को भूमि खरीदकर कब्जा भी प्राप्त किया। रेस्पो0 विवादित आराजी का रिकाडेर्ड खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि परीक्षण न्यायालय ने मु0 जौहरी को बिना किसी आधार के खातेदार नहीं मानने में भूल की है। मु0 जौहरी के दो नाबालिग बच्चे थे जो गुलाब के जीवनकाल में ही फौत हो गये थे, ऐसी स्थिति में गुलाब की एक मात्र वारिस मु0 जौहरी बेवा ही थी। जिसको विधिसम्मत रूप से खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे एवं मु0 जौहरी ने विधिसम्मत रूप से विवादित आराजी का बेचान जरिये रजिस्टर्ड	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **1. अपील डिक्री/टीए/4548/2002/करौली** **मुरारी व अन्य बनाम कुन्जीलाल व अन्य** **2. अपील डिक्री/टीए/4549/2002/करौली** **मुरारी व अन्य बनाम बृजमोहन व अन्य** **3. अपील डिक्री/टीए/4573/2002/करौली** **मुरारी व अन्य बनाम मुरारी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विक्रय पत्र के रेस्पो0 को किया है। विवादित आराजी पर विक्रय की दिनांक से आज तक रेस्पो0 कब्जा काश्त करते आ रहे है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जिसके द्वारा विवादित आराजी का बेचान किया है उसको अपीलांट द्वारा आज किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त भी नहीं करवाया गया है। विद्वान अभिभाषक तर्क दिया कि अपीलीय न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यों की जाचं व परीक्षण करने के उपरांत ही निर्णय व डिक्री पारित की है, जो विधिसम्मत है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत उक्त तीनों अपीलों को सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया। हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का गहनतापूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का विवचेन व विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि विवादित भूमि के संबंध में परीक्षण न्यायालय द्वारा धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वादी का वाद खारिज किया है। इसके संबंध में न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, सवाईमाधोपुर ने अपने निर्णय दिनांक 01.08.2002 में प्रकरण में प्रस्तुत समस्त रिकाडर्ड का परीक्षण करने के उपरांत वादी/रेस्पो0 की अपील को स्वीकार किया है। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि – ‘‘ उक्त प्रकरणों में मूल खातेदार के जीवित पुत्र के लाऔलाद मरने के बाद मूल खातेदार की विधवा एवं मृतक पुत्र की माता ही एक मात्र विवादित आराजी की वारित होने से उसके नाम खातेदारी दर्ज हुई और उसके द्वारा खातेदार की हैसियत से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपीलांटस को आराजी विवाद	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **1. अपील डिक्री/टीए/4548/2002/करौली** **मुरारी व अन्य बनाम कुन्जीलाल व अन्य** **2. अपील डिक्री/टीए/4549/2002/करौली** **मुरारी व अन्य बनाम बृजमोहन व अन्य** **3. अपील डिक्री/टीए/4573/2002/करौली** **मुरारी व अन्य बनाम मुरारी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

का बेचान किया गया है।

उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जो अपीलांट के पक्ष में किये गये है वे रेस्पो0 द्वारा सक्षम न्यायालय से अवैध एवं प्रभाव शून्य भी घाषित नहीं कराये है। जिससे उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के माध्यम से अपीलांट उक्त आराजी के 1/2 हिस्से के खातेदार बेखूबी राजस्व रिकार्ड से सिद्व होते है। ऐसी स्थिति में अपील संख्या 171 से 173/01 में निर्णय पारित किये है वे तथ्यों व रिकार्ड के विरूद्व जाकर दिये है जो
निरस्त योग्य है। तथा अपील संख्या 33/02 पर जो विवेचन दिया गया है वह उचित एवं कानून संगत है जिसमें किसी प्रकार हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अपील संख्या 171/01, 172/01 व 173/01 उनवानी क्रमशः कुन्जीलाल/रामदेव, मुरारीलाल /रामदेव व ब्रजमोहन/रामदेव स्वीकार की जाकर उप जिला कलेक्टर, करौली के निर्णय दिनांक 30.5.96 एवं 20.6.2001 निरस्त किये जाते है।''

उपरोक्त समस्त विवरण के आधार पर स्पष्ट होता है कि विवादित भूमियों में बेवा जौहरी खातेदार द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रेस्पो0/वादीगण को भूमियों का बेचान किया गया था। वादग्रस्त भूमियोंका कब्जा काश्त भी इस रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा केता पक्ष को हस्तांतरित कर दिया गया था। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि एक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा भूमियों का बेचान करते समय बेवा मु0 जौहरी विवादित भूमियों की रिकाडेर्ड खातेदार काश्तकार थी और उसे इन भूमियों के बेचान व हस्तांतरण सहित सभी विधिक अधिकार प्राप्त थे। इस स्थिति में रेस्पा0/वादीगण द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गयी भूमियों में सभी विधिक अधिकार प्राप्त हो जाते है जो कि एक रिकाडेर्ड खातेदार काश्तकारी को प्राप्त होते है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा उतनी ही भूमियों का

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **1. अपील डिक्री/टीए/4548/2002/करौली** **मुरारी व अन्य बनाम कुन्जीलाल व अन्य** **2. अपील डिक्री/टीए/4549/2002/करौली** **मुरारी व अन्य बनाम बृजमोहन व अन्य** **3. अपील डिक्री/टीए/4573/2002/करौली** **मुरारी व अन्य बनाम मुरारी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

बेचान किया गया है जो मु0 जौहरी के रिकाडेर्ड खातेदारी में दर्ज थी अर्थात रिकार्ड में दर्ज रकबे से अधिक रकबे को बेचान भी नहीं किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को किसी भी सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती देकर आज तक इसे निरस्त भी नहीं करवाया गया है। इन सब विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति के आधार पर स्पष्ट है कि इस प्रकरण में पूर्ण विवेचन व विश्लेषण करने के उपरांत ही अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिसंगत निर्णय पारित किये गये है, जिसमें हम किसी प्रकार की कोई गंभीर विधिक त्रुटि या अनियमितता नहीं पाते है।

परिणामतः उपरोक्त तीनों अपीलें सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है तथा अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.08.2002 बहाल रखा जाता है।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य

(राजेश्वर सिंह)
अध्यक्ष